राधेश्याम बनाम सुशीला वगैरा
दावा

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	31-3-2021 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वसीयतनामा दि० 30-6-1998 के आधार पर वादी राधेश्याम को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:26 IST
Reason: SelfAttested

2017 23.05.2017 31-3-2021

... पुत्र हजारीलाल, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)

1/1—मीना शर्मा 1/2—ममता शर्मा 1/3—माया शर्मा 1/4—पायल शर्मा 1/5—सरला शर्मा 1/6—रजनी शर्मा 1/7—सुनीता शर्मा	पुत्रियाँ राधेश्याम	सभी जाति ब्राह्मण निवासी सीतारामजी मन्दिर के पास सब्जी मण्डी गंगापुर सिटी
1/8—प्रमोद शर्मा 1/9—हेमन्त शर्मा	पुत्रान राधेश्याम	

1/10—शकुन्तला पत्नि राधेश्याम ——वादीगण

बनाम

1. सुशीला पत्नि राधेश्याम, ब्राह्मण निवासी मिर्जापुर गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1—श्यामसुन्दर पुत्र राधेश्याम, ब्राह्मण निवासी मिर्जापुर गंगापुर सिटी
1/2—कैलाश पुत्र राधेश्याम, ब्राह्मण निवासी मिर्जापुर गंगापुर सिटी
1/3—जितेन्द्र पुत्र राधेश्याम, ब्राह्मण निवासी मिर्जापुर गंगापुर सिटी
1/4— नूतन पुत्री राधेश्याम पत्नि मदनमोहन ब्राहमण निवासी कृष्णा नगर सरस्वती हिन्दी स्कूल के सामने, सरदार स्टैट के पीछे,रामदेव नगर के पास आजवा रोड, बडौदा गुजरात
1/5.सविता पुत्री राधेश्याम पत्नि अरविन्द जाति ब्राहमण निवासी सहापुर तहसील आन्धी जिला दौसा
1/6.सीमा पुत्री राधेश्याम पत्नि दुर्गेश जाति ब्राह्मण निवासी शुक्ला कालोनी नहर रोड गंगापुर सिटी।
1/7.अर्चना पुत्री राधेश्याम पत्नि मुनीम जाति ब्राम्हण निवासी कैलादेवी मन्दिर के पास, कैलादेवी जिला करौली
2. शीला पत्नि कैलाश लकदावर जाति ब्राह्मण निवासी लिवाली तहसील बामनवास
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, ... दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः श्री मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट वादी की ओर
श्री जे.के. शर्मा एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
श्री संदीप त्रिवेदी एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 2 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:26 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

संख्या 1 व 2 के पिता रामेश्वर प्रसाद की खातेदारी स्वअर्जित भूमि खसरा नम्बर 396 रकवा 1.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 397 रकवा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 398 रकवा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 399 रकवा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 400 रकवा 0.45 हेक्टर खसरा नम्बर 402 रकवा 0.26 हेक्टर कस्बा गंगापुर सिटी में स्थित है। रामेश्वर प्रसाद उर्फ रामजी पुत्र भौरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 30.06.98 को वादी के हक में उपपंज़ीयक तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां रजिस्टर्ड करवा दी। वसीयत प्रदीप कुमार शर्मा एडवोकेट द्वारा रामेश्वर प्रसाद के कहे मुताविक टाईप करवाई जिस पर बतौर साक्षी रफीक एवं रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र घूडमल शर्मा ने अपने हस्ताक्षर किये है। रामेश्वर प्रसाद के मरने के बाद से ही रामेश्वर प्रसाद के उक्त हिस्से पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का रामेश्वर प्रसाद के हिस्से से कोई भी सम्बन्ध नही रहा है। रामेश्वर प्रसाद के मरने के बाद रेवन्यु कर्मचारियों ने रामेश्वर प्रसाद की विरासत गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी जबकि विवादित खसर नम्बर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामेश्वर प्रसाद पुत्र भौरीलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति थी तथा स्वअर्जित सम्पत्ति को किसी भी व्यक्ति के हक मे वसीयत की जा सकती है। लेकिन रेवन्यु कर्मचारियों ने गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक मे विरासत का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो कानूनी रूप से गलत है। विवादित भूमि के सम्बन्ध मे पूर्व में मन्दिर एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुकदमे विचाराधीन थे। विवादित भूमि का निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक एवं राजस्व मण्डल अजमेर से हो चुका है। मुताविक निर्णय विवादित भूमि को खातेदारी की भूमि माना गया है। मन्दिर से भूमि का कोई सम्बन्ध नही माना है। रेवन्यु रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज है जबकि वसीयत के आधार पर वादी सम्पूर्ण भूमि का खातेदार है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ कर वादी को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी ने दिनांक 10–05–2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से तहसील मे चलकर वसीयत के आधार पर अपनी सह[illegible]र रेवन्यु रिकार्ड मे से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कोई इच्छा जाहिर नहीं की इसलिए वादी को यह दावा पेश करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:26 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible]

[illegible] नम्बर 396, 397, 398, 399, 400, 402 का वसीयत की दिनांक [illegible] के आधार पर वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जावे तथा [illegible] संख्या 1 व 2 का नाम हजफ किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा पांबद फरमाया जावे कि वे भूमि को दीगर जगह [illegible] वय नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुआ।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के पिता के मरने के बाद से ही उक्त भूमि पर वहैसियत मालिक वादी राधेश्याम का ही कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवादिया सं0 1 का उसके पिता रामेश्वर प्रसाद की हिस्से की भूमि से कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से की भूमि वादी के नाम दर्ज कर दी जावे। इससे प्रतिवादी सं0 1 को कोई एतराज नहीं है। यह भूमि रामेश्वर प्रसाद पुत्र भौरीलाल की स्वअर्जित सम्पति थी। रामेश्वर प्रसाद के मरने के बाद से ही रामेश्वर प्रसाद के हिस्से की भूमि पर राधेश्याम का ही कब्जा चला आ रहा है। रेवन्यु रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम गलत दर्ज कर दी है। इसे वादी के नाम दर्ज किया जाता है तो इसमें प्रतिवादी सं0 1 को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि समस्त भूमि पर वादी राधेश्याम का ही बतौर मालिक कब्जा चला आ रहा है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादित सं0 1 को डिक्री किया जाता है तो इसमें प्रतिवादिया सं0 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता रामेश्वर प्रसाद की सहखातेदारी की स्वअर्जित भूमि है। यह कहना गलत है कि रामेश्वर उर्फ रामजी पुत्र भौरी लाल जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत दि0 30–06–98 को वादी के हक में उपपंजीयक तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ रजिस्टर्ड करवा दी हो, सही तथ्य यह है कि तथाकथित वसीयत वादी रामेश्वर [illegible] ने नहीं कराई, रामेश्वर प्रसाद ने राधेश्याम को मुकदमा आदि कार्यों [illegible] पावर ऑफ अर्टोनी बनाया था। रेवन्यु कर्मचारियों ने रामेश्वर प्रसाद की विरासत प्रतिवादीसं0 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 मृतक रामेश्वर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:26 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम सही रूप से दर्ज है। जवाब दावा के विवरण में अंकित किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के बीच एक मुकदमा मन्दिर से चला था उस मुकदमे मे से संयुक्त रूप से प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा वादी ने मुकदमा लडा था। सारी कार्यवाही मुकदमा वादी ने ही की थी वह ही मुकदमे को संभालता रहा है सबकी ओर से उसने ही वकील नियुक्त किये थे। उस मुकदमे में किसी प्रकार की वसीयत मुकदमे के दौरान नही बतायी गयी। इससे स्वयं सिद्ध है कि वसीयत सन्देहास्पद है। इस वसीयत को निरस्त घोषित करवाने हेतुं प्रतिवादी सं0 2 ने एक दावा सिविल न्यायालय गंगापुर सिटी में पेश कर रखा है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 09–08–17 नियत है। उसमे रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश हो चुके हैं। मौजूदा दावा में प्रतिवादीसं0 1 जवाब दावा पेश किया है जिसकी प्रतिवादी सं0 2 ने सत्य प्रतिलिपि निकलवायी है। जवाब दावा देखने से ज्ञात हुआ कि शायद किसी दबाब के चलते प्रतिवादी सं0 1 ने वादी के दावे का इकबालिया जवाब पेश किया है और उसके दावे के तथ्यों को स्वीकार करते हुए लिखा है कि दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 डिक्री किया जाता है तो इसमें प्रतिवादी सं0 1 को कोई आपत्ति नहीं है। इस जवाब दावे पर प्रतिवादी सं0 1 की निशानी चस्पा है और साथ में जितेन्द्र के हस्ताक्षर है यह जितेन्द्र कौन है इसका विवरण नहीं है। वैसे जितेन्द्र नाम का प्रतिवादी सं0 1 का एक पुत्र है। प्रतिवादी सं0 1 के दो अन्य पुत्र और है। मौजूदा दावे की प्रतिवादी सं. 1 सुशीला प्रतिवादी सं0 2 शीला द्वारा प्रस्तुत दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी शीला बनाम राधेश्याम न्यायालय सिविल जजी गंगापुर सिटी में क्या जवाब देही करती है, यह देखना बाकी है। उसके द्वारा सिविल जजी न्यायालय में जवाब पेश करने पर या अन्य बाते मालुम होने पर आवश्यक होगा तो मौजुदा दावे में प्रस्तुत किये जा रहे जवाब दावे में तदनुरूप संशोधन संवर्द्धन परिवर्तन का प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रतिवादी सं0 2 अधिकार सुरक्षित रखती है। प्रतिवादी सं0 1 सुशीला ने भी एक दावा उनवानी सुशीला बनाम राधेश्याम वगैरहा सिविल जजी गंगापुर में तथाकथित वसीयत को निरस्त घोषित करवाने का किया था। जिसमें मुझ जवाबदार शीला को प्रतिवादी सं0 2 बनाया था। मेरी तामील नहीं हुयी उससे पूर्व ही उक्त सुशीला ने राधेश्याम के या अन्य किसी के दबाव में वह दावा विड्रा कर लिया तथा लिख दिया कि राधेश्याम से राजीनामा हो गया है। इसलिये दावा नही चलाना चाहती है। दावा विड्राअल में खारिज करदी जावे और इस प्रकार वह दावा खारिज हो गया। इस प्रकार यह जाहिर है कि वादी राधेश्याम ने सुशीला को विन ओवर कर लिया है। उक्त दावा सुशीला बनाम राधेश्याम का फैसला

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:26 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1.आया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामेश्वर प्रसाद की खातेदारी स्वअर्जित भूमि ख0न0 396 रकबा 1.53 है0, ख0न0 397 रकबा 0.02 है0, ख0न0 398 रकबा 0.24 है0, ख0न0 399 रकबा 0.02 है0, ख0न0 400 रकबा 0.45 है0, ख0न0 402 रकबा 0.26 है0 ग्राम गंगापुर में स्थित है। ––वादी

2.आया रामेश्वर प्रसाद द्वारा अपनी सम्पत्ति की वसीयत 30.06.98 को वादी के हक में रजिस्टर्ड करवा दी गई एवं रामेश्वर प्रसाद के मरने के बाद से ही वादी उनकी चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज चला आ रहा है। ––वादी

3.आया राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित खसरा नम्बरों की विरासत गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित कर दी गई है जबकि विवादित भूमि के सम्बध में वसीयत के आधार पर वादी सम्पूर्ण भूमि का खातेदार है। ––वादी

4.आया वादी वसीयत दिनांक 30.06.98 के आधार पर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा स्वयं के नाम कराने एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का राजस्व रिकॉर्ड से नाम हजफ करवाकर इन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। ––वादी

5.आया रामेश्वर प्रसाद ने 30.06.98 को वसीयत नही करवाई है बल्कि रामेश्वर प्रसाद ने राधेश्याम को मुकदमा आदि कार्यो के लिए पावर आफ अर्टोनी बनाया था। ––प्रतिवादी न0 2

6.आया वसीयत को निरस्त करवाने के लिए प्रतिवादी नें सिविल न्यायालय गंगापुर सिटी में एक दावा पेश कर रखा है एवं उसमे रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हो चुके है। फलस्वरूप यह दावा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। ––प्रतिवादी न0 2

7.अनुतोष

वादपत्र के समर्थन मे वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 प्रदर्श–1, नकल वसीयतनामा प्रदर्श–2 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान हेमन्त शर्मा पी0डब्लू01, बयान रफीक मुसलमान पी0डब्लू0 2, बयान प्रदीप कुमार शर्मा एडवोकेट पी0डब्लू03 कराए हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:26 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

[redacted] प्रस्तुत किये है।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य नही करायी गई।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से न्यायालय मे उपस्थित होकर दिनांक [redacted]2021 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादिया मुकदमे मे अपनी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहती है ना ही उक्त मुकदमे मे कोई पैरवी करना चाहती है। इसलिए उक्त मुकदमे मे वसीयत के आधार पर राधेश्याम के वारिसान के हक मे निर्णय पारित कर दिया जावे। इसमे प्रार्थिया को कोई आपत्ति नही है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको ने प्रस्तुत मामले मे वसीयतनामे के आधार पर राधेश्याम के पक्ष मे दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वसीयतनामा प्रदर्श 2 के अनुसार रामेश्वर प्रसाद उर्फ रामूजी ने दिनांक 30.6.1998 को राधेश्याम शर्मा पुत्र हजारी लाल चौबे के पक्ष मे एक वसीयत की है। जिसमे वसीयतकर्ता रामेश्वर प्रसाद उर्फ रामूजी की काश्त की जमीन, चल व अचल सम्पत्ति, दुकाने एवं अन्य सम्पत्ति की वसीयत राधेश्याम शर्मा के पक्ष मे की है। इस वसीयत के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0न0 396 रकबा 1.53 है0, ख0न0 397 रकबा 0.02 है0, ख0न0 398 रकबा 0.24 है0, ख0न0 399 रकबा 0.02 है0, ख0न0 400 रकबा 0.45 है0, ख0न0 402 रकबा 0.26 है0 ग्राम गंगापुर की खातेदारी राधेश्याम शर्मा के नाम दर्ज होनी चाहिए थी. परन्तु राधेश्याम शर्मा के साथ साथ सुशीला व शीला का नाम भी जमाबंदी मे दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 सुशीला व प्रतिवादी संख्या 2 शीला ने वादग्रस्त भूमि वसीयत के अनुसार राधेश्याम के नाम दर्ज करने का लिखित आवेदन इस न्यायालय मे स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है। इस सब के आधार पर वसीयत दिनांक 30.6.1998 के अनुसार वादग्रस्त भूमि की खातेदारी राधेश्याम पुत्र हजारीलाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी के नाम दर्ज होना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वसीयतनामा दिनांक 30.6.1998 के अनुसार भूमि ख0न0 396 रकबा 1.53 है0, ख0न0 397 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन चाह, ख0न0 398 रकबा 0.24 है0, ख0न0 399 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन छतरी, ख0न0 400 रकबा 0.45 है0, ख0न0 402 रकबा 0.26 है0 ग्राम गंगापुर का वादी राधेश्याम पुत्र हजारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी को खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 18:11:26 IST
Reason: Certified

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

दर्शित किया जाता है। इस भूमि के सम्बन्ध मे वसीयतनामा दिनांक 30.6.1998 के आधार पर राजस्व अभिलेख में वर्तमान मे दर्ज सुशीला पत्नी राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी मिर्जापुर रिटायर्ड कम्पाउन्डर देव कॉलोनी वार्ड न0 5 गंगापुर सिटी, शीला पत्नी कैलाश लखदावर जाति ब्राह्मण निवासी लिवाली मिडिल स्कूल के पास, तहसील बामनवास का नाम निरस्त किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। चूकि राधेश्याम पुत्र हजारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी का निधन हो चुका है। अतः इसके विधिक वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31-3-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
पीठासीन अनिल कुमार चौधरी, आर०ए०एस०

उनवान

[illegible] पुत्र हजारीलाल, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)

1/1—नीना शर्मा
1/2—ममता शर्मा
1/3—माया शर्मा
1/4—पायल शर्मा
1/5—सरला शर्मा
1/6—रजनी शर्मा
1/7—सुनीता शर्मा
(पुत्रियाँ राधेश्याम)
1/8—प्रमोद शर्मा
1/9—हेमन्त शर्मा
(पुत्रान राधेश्याम)
1/10—शकुन्तला पत्नि राधेश्याम

सभी जाति ब्राह्मण निवासी सीतारामजी मन्दिर के पास सब्जी मण्डी गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. सुशीला पत्नि राधेश्याम, ब्राह्मण निवासी मिर्जापुर गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1—श्यामसुन्दर पुत्र राधेश्याम, ब्राह्मण निवासी मिर्जापुर गंगापुर सिटी
1/2—कैलाश पुत्र राधेश्याम, ब्राह्मण निवासी मिर्जापुर गंगापुर सिटी
1/3—जितेन्द्र पुत्र राधेश्याम, ब्राह्मण निवासी मिर्जापुर गंगापुर सिटी
1/4— नूतन पुत्री राधेश्याम पत्नि मदनमोहन ब्राहमण निवासी कृष्णा नगर सरस्वती हिन्दी स्कूल के सामने, सरदार स्टैट के पीछे,रामदेव नगर के पास आजवा रोड, बडौदा गुजरात
1/5.सविता पुत्री राधेश्याम पत्नि अरविन्द जाति ब्राहमण निवासी सहापुर तहसील आन्धी जिला दौसा
1/6.सीमा पुत्री राधेश्याम पत्नि दुर्गेश जाति ब्राह्मण निवासी शुक्ला कालोनी नहर रोड गंगापुर सिटी।
1/7.अर्चना पुत्री राधेश्याम पत्नि मुनीम जाति ब्राम्हण निवासी कैलादेवी मन्दिर के पास, कैलादेवी जिला करौली
2. शीला पत्नि कैलाश लकदावर जाति ब्राह्मण नि. लिवाली तह. बामनवास
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्तकाल दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —31/2017

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 18:11:26 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible] इस्तगासा, एडवोकेट [illegible] मुद्दई श्री [illegible] एडवोकेट, [illegible] [illegible] एडवोकेट एवं मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त [illegible] के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 396 रकबा 1.53 है0, ख0न0 397 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन चाह, ख0न0 398 रकबा 0.24 है0, ख0न0 399 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन छतरी, ख0न0 400 रकबा 0.45 है0, ख0न0 402 रकबा 0.26 है0 ग्राम गंगापुर का [illegible] राधेश्याम पुत्र हजारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि के सम्बन्ध मे वसीयतनामा दिनांक 30.6.1998 के आधार पर राजस्व अभिलेख में वर्तमान मे दर्ज सुशीला पत्नी राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी मिर्जापुर रिटायर्ड कम्पाउन्डर देव कॉलोनी वार्ड न0 5 गंगापुर सिटी, शीला पत्नी कैलाश लखदावर जाति ब्राह्मण निवासी लिवाली मिडिल स्कूल के पास, तहसील बामनवास का नाम निरस्त किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। चूकि राधेश्याम पुत्र हजारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी का निधन हो चुका है। अतः इसके विधिक वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31-3-2021 को जारी किया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्चा		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:26 IST
Reason: SelfAttested